

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1/1/1/0004/23-MRD-12- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म (श्रेणी 1 और 2) भरती नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में,-

1. उप-नियम (3) में, अंक तथा शब्द "अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत" स्थापित किए जाए।
2. उप-नियम (3-ख) में, शब्द "शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग" के स्थान पर, शब्द "दिव्यांगजन" स्थापित किया जाए।
3. उपनियम (3-ख) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(3-ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, अपने परिपत्र दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार तथा इस संबंध में समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक स्थापना में सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे।

टीप - " स्थापना " का वही अर्थ होगा, जैसा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (1994 का 21) की धारा 2 के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट है।"

2. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं अर्थात :-

**"अनुसूची-एक
(नियम 6 देखिए)**

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रथम श्रेणी					
1	संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म)	1	प्रथम श्रेणी	129700-214300	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2	संचालक (तकनीकी)	1	-तदैव-	129700-214300	
3	अपर संचालक (भौमिकी)	1	-तदैव-	123100-215900	
4	अपर संचालक (खनिज प्रशासन)	1	-तदैव-	123100-215900	
5	अधीक्षण भौमिकीविद्	5	-तदैव-	79900-211700	
6	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	8	-तदैव-	79900-211700	
7	उप संचालक (तकनीकी)	26	-तदैव-	67300-206900	
8	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	33	-तदैव-	67300-206900	
9	मुख्य विश्लेषक	1	-तदैव-	67300-206900	
10	मुख्य खनिज अर्थशास्त्री	1	-तदैव-	67300-206900	
11	खनिज अर्थशास्त्री	1	-तदैव-	67300-206900	
12	उप संचालक (वित्त)	1	-तदैव-	67300-206900	प्रतिनियुक्ति द्वारा

द्वितीय श्रेणी

1	सहायक भौमिकीविद्	38	द्वितीय श्रेणी	56100-177500	
2	खनि अधिकारी	50	-तदैव-	56100-177500	
3	हीरा अधिकारी	1	-तदैव-	56100-177500	
4	रसायनज्ञ	4	-तदैव-	56100-177500	
5	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	5	-तदैव-	42700-135100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	वेधन अधीक्षक	1	-तदैव-	42700-135100	
7	सर्वे आफिसर	1	-तदैव-	42700-135100	
8	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	4	-तदैव-	42700-135100	
9	भण्डार अधिकारी	1	-तदैव-	42700-135100	
10	प्रभारी अधिकारी (मानचित्र कक्ष)	1	-तदैव-	42700-135100	

अनुसूची-दो
[नियम 7 देखिए]

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता			अभ्युक्ति
			सीधी भरती द्वारा [देखिये नियम 7 (1) (क)]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिये नियम 7 (1) (ख)]	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा देखिये नियम 7 (1) (ग)	
प्रथम-श्रेणी						
1	संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म)	1	-	-	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2	संचालक (तकनीकी)	1	-	100%		
3	अपर संचालक (भौमिकी)	1	-	100%		
4	अपर संचालक (खनिकर्म)	1	-	100%		
5	अधीक्षण भौमिकीविद्	5	-	100%		
6	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	8	-	100%		
7	उप संचालक (तकनीकी)	26	-	100%		
8	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	33	-	100%		
9	मुख्य विश्लेषक	1	-	100%		

10	मुख्य खनिज अर्थशास्त्री	1	-	100%		
11	खनिज अर्थशास्त्री	1	-	100%		
12	उप संचालक (वित्त)	1	-	-	100%	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा

द्वितीय श्रेणी

1	सहायक भौमिकीविद्	38	100%	-	-	
2	खनि अधिकारी	50	50%	50%	-	
3	हीरा अधिकारी	1	100%	-	-	पद सांख्येत्तर घोषित किया गया
4	रसायनज्ञ	4	25%	75%	-	
5	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	5	100%	-	-	
6	वेधन अधीक्षक	1	-	100%	-	
7	सर्वे आफिसर	1	-	100%	-	
8	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	4	-	100%	-	
9	भण्डार अधिकारी	1	-	100%	-	
10	प्रभारी अधिकारी (मानचित्र शाखा)	1	-	100%	-	

अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिकतम आयु-सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव	अभ्युक्तियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
द्वितीय श्रेणी						
खनिज साधन विभाग	1	सहायक भौमिकीविद्	21 वर्ष	40 वर्ष	भू-विज्ञान (जियोलाजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलाजी) में एम.टेक उपाधि।	
	2	खनि अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	भू-विज्ञान (जियोलाजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलाजी) में एम.टेक उपाधि।	

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	हीरा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	भू-विज्ञान (जियोलाजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलाजी) में एम. टेक उपाधि।	पद अधिसंख्य घोषित किया गया
4	रसायनज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	रसायनज्ञ शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि किसी ख्यातिप्राप्त रसायन प्रयोगशाला में अयस्क तथा खनिजों के विश्लेषण का तीन वर्ष का अनुभव।	
5	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पात्रता की कालावधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खनिज साधन विभाग	1 अपर संचालक (भौमिकी) /अपर संचालक (खनिकर्म)	5 वर्ष	संचालक (तकनीकी)	1. मुख्य सचिव -अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव - सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य 4. प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज साधन विभाग - सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रतिनिधि जो कि उप/अवर सचिव के श्रेणी के समकक्ष पद हो - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2 अधीक्षण भौमिकीविद्	5 वर्ष	अपर संचालक (भौमिकी)	1. अध्यक्ष-लोक सेवा आयोग या उनका नाम निर्देशित सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव / सचिव, खनिज साधन विभाग - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रतिनिधि जो कि उप सचिव /अवर सचिव के समकक्ष पद श्रेणी का हो। - सदस्य 4. संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) - सदस्य सचिव	
	3 संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	5 वर्ष	अपर संचालक (खनिकर्म)	--तदैव--	
	4 उप संचालक (तकनीकी)	5 वर्ष	अधीक्षण भौमिकीविद्	--तदैव--	
	5 उप संचालक (खनिज प्रशासन)	5 वर्ष	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	--तदैव--	
	6 सहायक भौमिकीविद्	5 वर्ष	उप संचालक (तकनीकी)	--तदैव--	
	7 खनि अधिकारी/ हीरा अधिकारी	5 वर्ष	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	--तदैव--	
	8 रसायनज्ञ	5 वर्ष	मुख्य विश्लेषक	--तदैव--	
	9 सहायक खनिज अर्थशास्त्री	5 वर्ष	मुख्य खनिज अर्थशास्त्री/ खनिज अर्थशास्त्री	--तदैव--	काल्पनिक पदोन्नति द्वारा पदनाम वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किया जाए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	सहायक खनि अधिकारी	5 वर्ष	खनि अधिकारी	--तदैव--	
11	सहायक रसायनज्ञ	5 वर्ष	रसायनज्ञ	--तदैव--	
12	वेधन मिस्त्री	5 वर्ष	वेधन अधीक्षक	--तदैव--	
13	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	5 वर्ष	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	--तदैव--	
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	--तदैव--	
15	टोपो सर्वेयर	5 वर्ष	सर्वे आफिसर	--तदैव--	
16	वरिष्ठ प्रशिल्पी	5 वर्ष	भण्डार अधिकारी	--तदैव--	
17	मानचित्रकार	5 वर्ष	प्रभारी अधिकारी (मानचित्र शाख)	--तदैव--	
18	खनि निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक खनि अधिकारी	--तदैव--	राजपत्रित तृतीय श्रेणी अलिपिक - वर्गीय 1।।

No. F-1/1/1/0004/23-MRD-12- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Geology and Mining (Class I and II) Recruitment Rules, 1965, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in rules 12,-

1. In sub-rule (3), for the figure and words "14 percent for Other Backward Classes", the figure and words "27 percent for Other Backward Classes" shall be substituted.
2. In sub-rule (3-b), for the words "Physically Handicapped category", the words "Disabled Persons" shall be substituted.
3. After sub-rule (3-b), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(3-c) The vacancies available for direct recruitment in every establishment, 10 percent post shall be reserved for the Economically Weaker Sections (E.W.S.) category as directed by the General Administration Department, in its circular dated 2nd July, 2019 and the orders issued by the State Government, from time to time, in this behalf.

Note- "Establishment" shall have the same meaning as contained in clause (b) of section 2 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994)."

2. For the existing Schedule I, II, III, and IV the following schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE - I

(See-Rule 6)

S. No.	Name of the post included in service	Total number of posts	Classification	Pay- Scale	Remark
1	2	3	4	5	6
CLASS-I					
1	Director (Administration and Mining)	1	Class- I	129700-214300	By Deputation
2	Director (Technical)	1	-do-	129700-214300	
3	Additional Director (Geology)	1	-do-	123100-215900	
4	Additional Director (Mining)	1	-do-	123100-215900	
5	Superintending Geologist	5	-do-	79900- 211700	
6	Joint Director (Mineral Administration)	8	-do-	79900- 211700	
7	Deputy Director (Technical)	26	-do-	67300- 206900	
8	Deputy Director Mineral Administration)	33	-do-	67300- 206900	
9	Chief Analyst	1	-do-	67300- 206900	
10	Chief Mineral Economist	1	-do-	67300- 206900	
11	Mineral Economist	1	-do-	67300- 206900	
12	Deputy Director (Finance)	1	-do-	67300- 206900	By Deputation
CLASS-II					
1	Assistant Geologist	38	Class-II	56100- 177500	
2	Mining Officer	50	-do-	56100- 177500	
3	Diamond Officer	1	-do-	56100- 177500	
4	Chemist	4	-do-	56100- 177500	
5	Internal Accounts Examiner Officer	5	-do-	42700- 135100	
6	Drilling Superintendent	1	-do-	42700- 135100	
7	Survey Officer	1	-do-	42700- 135100	

8	Assistant Mineral Economist	4	-do-	42700- 135100	
9	Store Officer	1	-do-	42700- 135100	
10	Officer In charge (Map Section)	1	-do-	42700- 135100	

**"SCHEDULE – II
(See-Rule 7)**

S. No.	Name of the post included in service	Total No. posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment (See rule 7(1)(a))	By promotion of members of the services vide (See rule 7(1)(b))	By transfer of person from other services vide rule (7(1)(c))	
1	2	3	4	5	6	7
CLASS-I						
1	Director (Administration and Mining)	1	-	-	100%	By Deputation
2	Director (Technical)	1	-	100%	-	
3	Additional Director (Geology)	1	-	100%	-	
4	Additional Director (Mining)	1	-	100%	-	
5	Superintending Geologist	5	-	100%	-	
6	Joint Director (Mineral Administration)	8	-	100%	-	
7	Deputy Director (Technical)	26	-	100%	-	
8	Deputy Director Mineral Administration)	33	-	100%	-	
9	Chief Analyst	1	-	100%	-	
10	Chief Mineral Economist	1	-	100%	-	
11	Mineral Economist	1	-	100%	-	
12	Deputy Director (Finance)	1	-	-	100%	By Deputation from Finance Department

CLASS-II						
1	Assistant Geologist	38	100%	-	-	
2	Mining Officer	50	50%	50%	-	
3	Diamond Officer	1	100%	-	-	Post declare Supernumerary
4	Chemist	4	25%	75%	-	
5	Internal Accounts Examiner Officer	5	100%	-	-	
6	Drilling Superintendent	1	-	100%	-	
7	Survey Officer	1	-	100%	-	
8	Assistant Mineral Economist	4	-	100%	-	
9	Store Officer	1	-	100%	-	
10	Officer In charge (Map Section)	1	-	100%	-	

"SCHEDULE - III

(See-Rule 9)

Name of the Department	Name of the post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational qualification prescribed and experience	Remark
1	2	3	4	5	6
CLASS-II					
Mineral Resources Department	Assistant Geologist	21 years	40 years	Post graduate degree in Geology or M. Tech Degree in Applied Geology	
	Mining Officer	21 years	40 years	Post graduate degree in Geology or M. Tech Degree in Applied Geology	
	Diamond Officer	21 years	40 years	Post graduate degree in Geology or M. Tech Degree in Applied Geology	Post declared Supernumerary
	Chemist	21 years	40 years	Post graduate degree in Chemistry, 3 years experience in analysis of ores and minerals in reputed chemical lab.	
	Internal Accounts Examiner Officer	21 years	40 years	Master's degree in Statistics or Mathematics or Economics with minimum Second Division from a Recognised University.	

“SCHEDULE – IV

(See-Rule 14)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Period of Eligibility	Name of the post to which promotion is to be made	Member of Departmental Promotion Committee	Remark
1	2	3	4	5	6
Mineral Resources Department	1. Additional Director (Technical)/ Additional Director (Mining)	5 years	Director (Technical)	1. Chief secretary - Chairman 2. Senior most Additional Chief secretary - Member 3. Additional Chief secretary/ Principal Secretary/ Secretary General Administration - Member 4. Principal Secretary/ Secretary Mineral Resources Department - Member 5. One Representative of the Schedule cast / Schedule Tribes category equivalent to the rank of Deputy/ Under Secretary - Member	-
	2. Superintending Geologist	5 years	Additional Director (Geology)	1. Chairman Public Service Commission or his Nominee - Chairman 2. Additional Chief secretary/ Principal Secretary/ Secretary Mineral Resources Department - Member 3. One Representative of the Schedule cast / Schedule Tribes category equivalent to the rank of Deputy/ Under Secretary - Member 4. Director (Administration and mining) - Member Secretary	

1	2	3	4	5	6
	3. Joint Director (Mineral Administration)	5 years	Additional Director (Mining)	--do--	
	4. Deputy Director (Technical)	5 years	Superintending Geologist	--do--	
	5. Deputy Director Mineral Administration)	5 years	Joint Director (Mineral Administration)	--do--	
	6. Assistant Geologist	5 years	Deputy Director (Technical)	--do--	
	7. Mining Officer / Diamond Officer	5 years	Deputy Director (Mineral Administration)	--do--	
	8. Chemist	5 years	Chief Analyst	--do--	
	9. Assistant Mineral Economist	5 years	Chief Mineral Economist / Mineral Economist	--do--	Designation to be allotted in seniority by notional promotion
	10. Assistant Mining Officer	5 years	Mining Officer	--do--	
	11. Assistant chemist	5 years	Chemist	--do--	
	12. Driller Mechanic	5 years	Drilling Superintendent	--do--	
	13. Assistant Internal Accounts Examiner Officer	5 years	Internal Accounts Examiner Officer	--do--	
	14. Assistant statistical Officer	5 years	Assistant Mineral Economist	--do--	

1	2	3	4	5	6
	15.Topo Surveyor	5 years	Survey Officer	--do--	
	16.Senior Artificer	5 years	Store Officer	--do--	
	17.Draftsman	5 years	Officer In Charge (Map section)	--do--	
	18 Mining Inspector	5 years	Assistant Mining Officer	--do--	Gazette Class III Non Ministerial

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.